

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

साल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 370 दिनांक 13/11/2020

पार्थीया श्रीमती शशी जैन जी श्री अशोक कुमार जैन

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 9750/- प्रमा

जरिये रसीद संख्या 9062/218V, 2185

दिनांक 13/11/2020 को जमा करा दी है ।

13/11/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

13/11
80613-9709

जी +1
आवासीय

P.No: 25 खसरा संख्या 725/7।
शोभाबाई जी दाबी, गवानी गटपाल